24/9/24

अवकाश/दौरे/बाहर मिटिंग में पधारे है।
मिसल दिनांक 7/11/24 को पेश हो।

7/11/24 वकील वादी अनुपस्थित। तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त। अवलोकन की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। TDR की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी रिकॉर्ड से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि मौजा सथाना कलां की जमाबंदी नंबर 186 रकबा 1.7200 है० में वादी का नाम भगवानसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर रघुवीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह लिखा जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त किया जावें। इसी आशय की डिक्री पत्रावली जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी की तहरीर जारी हो। कार्यवाही जैसलमेर शुमार होकर मे दर्ज जाबता कार्यवाही के नंबर के साथ होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर